कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर

संख्या 524/ दिनांक 05 सितम्बर 2022

डा0 मो0 आजम कादरी
प्रबन्ध निदेशक,
शम्मे गौसिया माइनारिटी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
सहेडी, गाजीपुर।

कृपया आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.07.2022 के माध्यम से कोविड–19 हेतु अधिग्रहित चिकित्सालय को अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

आपके उक्त पत्र की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर से करायी गयी। जांचोपरान्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चिकित्सालय को मय बेड एवं उपकरणों सहित कोविड–19 से बचाव हेतु अधिग्रहित किया गया था। उक्त अधिग्रहित चिकित्सालयों का अधिग्रहण समाप्त करने हेतु चिकित्सा अनुभाग– 5 से कोई भी दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर की आख्या मूल में संलग्न कर सादर प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

उपजिलाधिकारी,
सदर–गाजीपुर।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर।

पत्रॉकः— मु0चि0अ0 / अधि0चिकि0 / 2022—23 / 2353 दिनॉक 28 जुलाई 2022

सेवा में,

उप जिला अधिकारी

सदर गाजीपुर।

विषय— कोविड —19 हेतु अधिग्रहित चिकित्सालय को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक शमे गौसिया आर्युवेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल सहेडी गाजीपुर के पत्र संख्या C-130/SGM(PG)/AY22 दिनॉक 20.07.2022 एंव आपके पृष्ठांकन दिनॉक 21.07.2022 के कम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चिकित्सा महाविघालय से सम्बद्ध आयुर्वेद एवं यूनानी दोनो चिकित्सालयो को मय बेड एवं उपकरणो सहित कोविड—19 से बचाव हेतु आपके पत्र दिनॉक 16.04.2021 द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त अधिग्रहित चिकित्सालयो का अधिग्रहण समाप्त करने हेतु चिकित्सा अनुभाग—5 से कोई भी दिशा निर्देश अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त सूचना आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रॉकः— मु0चि0अ0 / अधि0चिकि0 / 2022—23 / तद् दिनॉक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।
2. जिला सर्विलान्स अधिकारी आई0डी0एस0पी0 गाजीपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक शमे गौसिया आर्युवेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज सहेडी गाजीपुर।
4. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजीपुर।

786/92/121/139

ESTD : 1997
REGD : 1523

09415388196, 0945056909
09918900218, 0991890020
09415983027 (Principal
Phone No. 0548-222362
Fax : 0548-222393
E-mail :sgmaumc@rediffmail.coı
Website : www.shammegroup.or

SHAM-E-GHAUSIA MINORITY (S.G.M.) P.G. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

SAHERI, GHAZIPUR – 233302 (U.P.)

Managed By: Uttar Pradesh Samaj M. E. D. W. Sewa Samiti, Saheri, Ghazipur

Affiliated to Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur – 222003 (U.P.)

Recognized By: N.C.I.S.M. & Ministry of AYUSH, Govt. of India and Govt. of U.P.

Ref. C-130/S.G.M.(P.G.)/Ay-22 Date 20-07-2022

सेवा में,

श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।

विषय : **कोविड–19 हेतु अधिग्रहित चिकित्सालय को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 शासन अनुभाग–05 के अधिसूचना 14.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित किया गया है। उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनभाग–5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियो का अनुप्रयोग करते हुए उपरोक्त महाविद्यालय के सम्बद्ध आयुर्वेद एवं यूनानी दोनो चिकित्सालयो को समस्त साज–सज्जा, भवन, बेड, उपकरणों सहित कोविड–19 के प्रसार व बचाव हेतु पत्र संख्या–233 दिनांक 16.04.2021 को अधिग्रहण किया गया है। दिनांक 16.04.2021 से आज तक चिकित्सालय आपके अधिग्रहण में है। संस्था के बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष / Final व्यवसायिक में उत्तीर्ण छात्रों का इन्टर्नशिप कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि दिनांक 16.04.2021 के आदेश द्वारा अधिग्रहित चिकित्सालय में नियुक्त नोडल प्रभारी अधिकारी कोविड–19 डा0 अभिनव सिंह वर्तमान तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करण्डा से अधिग्रहित चिकित्सालय में रखा गया चिकित्सीय उपकरण / सामग्री के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी से रिपोर्ट मंगाकर अवमुक्त आदेश पारित करते हुए कृत कार्यवाही से संस्था को आवश्यक रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

आदर सहित।

भवदीय

(डा0 मो0 आजम कादरी)
प्रबन्ध/निदेशक

Managing Director
S.G.M.P.G. Ayurvedic/Unani
& Medical College & Hospital
Saheri, Ghazipur-233302 (U.P.)

संलग्नक : पूर्व में प्रेषित पत्र की छायाप्रति।
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. नोडल प्रभारी अधिकारी कोविड–19

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर।

संख्या 233 / आ०लि० दिनांक 16 अप्रैल 2021

आदेश

उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2000-र011 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उ०प्र० आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

उपरोक्त महामारी छुआछूत के संक्रमण से फैल रही है, इसके रोकथाम हेतु अपनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय मानको मे यह भी सम्मिलित है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आने वाले लोगों को क्वारेन्टाइन किया जाये तथा कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में कोविड-19 के मरीजों की भर्ती एवं उपचार हेतु जनपद गाजीपुर मे स्थित प्राईवेट मेडिकल कालेज/हास्पिटल एवं शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा(जी) सपठित धारा 65 के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी गाजीपुर को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मै अनिरूद्ध प्रताप सिंह, उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर निर्देशित करता हूँ कि निम्न विवरण के अनुसार शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो कि समय-समय पर अवगत कराया जायेगा) प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उक्त संक्रमण के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया जाता है" तथा प्रस्तर-12 के प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में आदेशित करता हूँ कि सम्बन्धित थाना प्रभारी उपर्युक्त परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे-

क्रम	संस्था का नाम	अधिग्रहित कर अभिरक्षा प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1	शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी	श्री मुकेश कुमार सिंह, तहसीलदार- सदर, गाजीपुर	थाना प्रभारी नन्दगंज, गाजीपुर

इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध करना राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा- 51 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कडाई से करना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा इससे उत्पन्न विफलता को उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनाक 14.03.2020 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40-3-2020-DM-I(A) दिनांकित 26.03.2020 का उल्लघन करने पर उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा।

(अनिरूद्ध प्रताप सिंह)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।

प्रतिलिपि-

1- जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- पुलिस अधीक्षक महोदय, गाजीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि कोविड-19 अस्पताल हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें।
4- तहसीलदार सदर गाजीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
6- प्रबन्धक शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- जिला सूचना अधिकारी को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।